न्यायालयः— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मण्डला, जिला मण्डला (म.प्र.)

:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::

मैं, मोहम्मद जफर खान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला, जिला—मण्डला, म. प्र., भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 12 व 13 एवं म0प्र0, दाण्डिक नियम एवं आदेश के नियम—31 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रकरणों में आवश्यक कार्य रिमाण्ड हेतु तहसील व जिला मण्डला के लिए **माह—जनवरी एवं फरवरी 2026** में न्यायिक पदस्थापना में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों की निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी लगाता हूँ :—

क.	न्यायिक दंडाधिकारी	माह जनवरी	फरवरी
1.	श्रीमति नेहा रहमान,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला।	25 एवं 26 जनवरी 2026	निरंक
3	डॉ. स्वाती चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला।	04 जनवरी 2026	15 फरवरी 2026
4	श्री यश भारती, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला।	01 जनवरी 2026	21 फरवरी 2026
5	श्री मोहम्मद सैफी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	निरंक	07 एवं 08 फरवरी 2026
6	सुश्री शिवानी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	03 जनवरी 2026	निरंक
7	श्रीमती इति प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	02 जनवरी 2026	22 फरवरी 2026
8	सुश्री वत्सला प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मण्डला	11 जनवरी 2026	01 फरवरी 2026
9	श्री आदिल अहमद खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नैनपुर ।	सम्पूर्ण अवकाश दिवस।	सम्पूर्ण अवकाश दिवस।
10	श्रीमती पद्मिनी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास।	11,18,25 जनवरी 2026	07,08,21,22 फरवरी 2026
11	सुश्री सैफी ताजीर तमन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास।	1,2,3,4 एवं 26 जनवरी 2026	1 एवं 15 फरवरी 2026
12	श्रीमती मीनल गजबीर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिछिया ।	सम्पूर्ण अवकाश दिवस ।	सम्पूर्ण अवकाश दिवस।

टीप :—

01.	उक्त दिनांकों पर रिमांड ड्यूटी की जाना निर्धारित है, किंतु निर्धारित रिमांड ड्यूटी दिनांक को संबंधित न्यायिक दण्डाधिकारी को यदि अवकाश पर जाना आवश्यक हो, तो संबंधित न्यायिक पदस्थापना पर उपस्थित अन्य न्यायिक दंडाधिकारी से तथा जिस न्यायिक पदस्थापना में एक ही न्यायाधीश पदस्थ हो, वे उनका कार्य देखने वाले अन्य न्यायाधीश से आपसी सामंजस्य स्थापित कर उनके स्थान पर अन्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा रिमांड ड्यूटी की जावेगी, इस आशय का अवकाश आवेदन में सहमति सहित हस्ताक्षरित कराया जाकर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को प्रेषित कर अवगत कराएँ।
02.	यदि किसी कारणवश अवकाश घोषित किया जाता है, तब मुख्यालय मण्डला में माह—जनवरी 2026 में सुश्री वत्सला प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला एवं फरवरी 2026 में सुश्री शिवानी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला एवं तहसील निवास में माह जनवरी 2026 में सुश्री सैफी ताजीर तमन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास एवं फरवरी 2026 श्रीमति पदमिनी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवास तथा तहसील नैनपुर एवं तहसील बिछिया में उपस्थित मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड डयूटी की जायेगी।
03.	रिमाण्ड ड्यूटी दिन के 3:00 बजे से दिन के 5:00 बजे तक संबंधित न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा अपने न्यायालय में बैठकर की जावेगी।

—Sd/—
(मोहम्मद जफर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला मण्डला(म.प्र.)

पृष्ठ. कमांक– 199 /2026, मण्डला, दिनांक–27.12.2025

प्रतिलिपि :– ~~(1)~~– माननीय् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मण्डला की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(2)– श्री डॉ. अल्तमश रहमान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।

(3)– श्रीमती नेहा रहमान खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।

(4)– **डॉ. स्वाती चौहान**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।

(5)– श्री यश भारती, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।

(6)– श्री **मो. सैफी**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।

(7)– **सुश्री शिवानी अग्रवाल**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।

(8)– **सुश्री वात्सला प्रजापति**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।

(9)– **श्रीमती इति प्रजापति**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मण्डला ।

(10)– **श्री आदिल अहमद खान**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नैनपुर ।

(11)– **पद्मिनी सिंह**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास ।

(12)– **सुश्री सैफी तनजीर तमन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवास।**

(13)– **श्रीमती मीनल गजबीर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिछिया, जिला मण्डला ।

(14)– जिला अभियोजन अधिकारी, मण्डला को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे तहसील एवं जिला मण्डला पर रिमाण्ड के दिन अभियोजन अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करायें और उनकी डयूटी निर्धारित कर प्रतिलिपि इस न्यायालय को प्रेषित करें ।

(15)– निष्पादन लिपिक, सी.जे.एम. कोर्ट, मण्डला की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

(16)– सिस्टम आफिसर, जिला–मण्डला को ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

27/12/25

(मोहम्मद ज़फर खान)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला मण्डला(म.प्र.)